अध्याय–1
शहरी स्थानीय निकायों के लेखे एवं वित्त का विहंगावलोकन

1.1 प्रस्तावना

चौहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम (1992) ने शहरी स्थानीय निकायों में शक्तियों के विकेन्द्रीकरण, कार्यकलापों और निधियों के अन्तरण तथा हस्तान्तरण का मार्ग प्रशस्त किया। परिणामस्वरूप एक त्रिस्तरीय ढाँचे के अन्तर्गत नगर निगमों[1] नगर पालिका परिषदों[2] तथा नगर पंचायतों[3] को और अधिक विविधतापूर्ण जिम्मेदारियाँ हस्तान्तरित की गयीं। चौहत्तरवें संविधान संशोधन के उपबन्धों को शामिल करने के लिए उत्तर प्रदेश की विधायिका ने उत्तर प्रदेश शहरी स्वशासन कानून (संशोधन) अधिनियम, 1994 अधिनियमित किया।

सरकार ने उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 एवं उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 के द्वारा शहरी स्थानीय निकायों में अन्तिम पायदान तक लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली को क्रियान्वित किया था। इसका उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों को आत्मनिर्भर बनाना तथा उसके अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के लोगों को बेहतर नागरिक सुविधाएँ उपलब्ध कराना था।

1.2 राज्य का परिदृश्य

उत्तर प्रदेश, देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला पाँचवा प्रदेश है जो लगभग 2.40 लाख वर्ग कि.मी. में फैला हुआ है। राज्य में 630 शहरी स्थानीय निकाय हैं जो कि सामान्यतः पाँच वर्ष की अवधि के लिए चुने गये सदस्यों की निर्वाचित परिषद द्वारा शासित होते हैं। इन शहरी स्थानीय निकायों का अन्तिम निर्वाचन वर्ष 2012 में हुआ था। शहरी स्थानीय निकायों का पार्श्व चित्र **सारणी 1** में नीचे दिया गया है:

सारणी 1: महत्वपूर्ण आँकड़े

क्र0 सं	संकेतक	इकाई	राज्य मूल्य	राष्ट्रीय मूल्य	सभी राज्यों के बीच स्थान
1	जनसंख्या	करोड़ में	19.98	121.07	प्रथम
2	जनसंख्या घनत्व	प्रतिवर्ग कि.मी.	829	382	द्वितीय
3	शहरी जनसंख्या (प्रतिशत)	प्रतिशत	22.27	31.16	–
4	शहरी स्थानीय निकायों की संख्या	संख्या	630	3842	द्वितीय
5	नगर निगम	संख्या	13	139	चौथा
6	नगर पालिका परिषद	संख्या	194	1595	प्रथम
7	नगर पंचायतें	संख्या	423	2108	प्रथम
8	लिंग अनुपात	1000 पुरूषों के सापेक्ष महिलाएँ	894	926	तेइसवाँ
9	साक्षरता (शहरी)	प्रतिशत	75.14	84.98	तेइसवाँ

(**स्रोतः** जनगणना रिपोर्ट 2011 तथा तेरहवाँ वित्त आयोग रिपोर्ट)

[1] पाँच लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरी स्थानीय निकायों को निरूपित करता है।
[2] बीस हजार एवं पाँच लाख के मध्य जनसंख्या वाले शहरी स्थानीय निकायों को निरूपित करता है।
[3] बीस हजार से कम जनसंख्या वाले शहरी स्थानीय निकायों को निरूपित करता है।

1.3 शहरी स्थानीय निकायों का संगठनात्मक ढाँचा

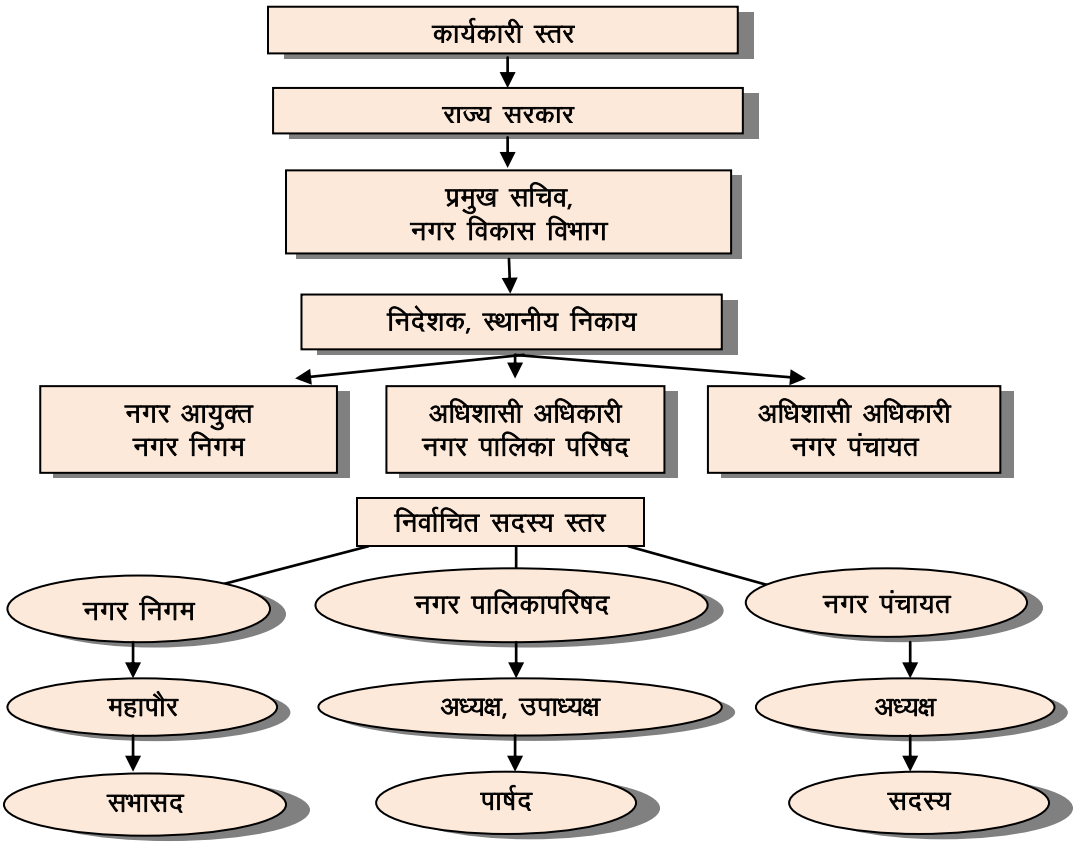

नगर निगम में जहाँ मेयर अध्यक्ष होता है, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों की अध्यक्षता सभापति करता है। निर्वाचित प्रतिनिधि अपनी शक्तियों तथा कर्तव्यों का प्रयोग निर्वाचित सदस्यों की समिति के माध्यम से करते हैं। नगर निगमों के मामलों में नगर आयुक्त तथा नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के मामलों में अधिशासी अधिकारी प्रशासनिक प्रमुख होते हैं।

1.3.1 स्थानीय निकायों में स्थायी समिति

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 88 से 105 एवं उत्तर प्रदेश पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 104 से 112 के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों के कार्यों को सम्पादित करने हेतु स्थायी समितियों के गठन की आवश्यकता थी। किन्तु निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा स्थायी समितियों के गठन तथा शहरी स्थानीय निकायों में लागू करने सम्बन्धी कोई महत्वपूर्ण सूचना प्रदान नहीं की गई।

1.4 लेखाओं का रख–रखाव

भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित लेखाकरण प्रारूप को अपनाना

ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के लिए प्रोद्भवन (एक्रूवल) आधार पर बजट एवं लेखाकरण पद्धति के प्रारूप निर्धारित किये गये थे, जिसकी स्वीकृति के लिए शहरी विकास मन्त्रालय ने राज्य सरकार को परिपत्र (जून 2003) जारी किया गया। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने इसे शहरी स्थानीय निकायों में वित्तीय वर्ष 2009–10 से आगे क्रियान्वित करने के लिए जून 2008 में एक आदेश जारी किया। अगस्त 2013 तक 630 शहरी स्थानीय

निकायों में से 611 उपार्जन आधारित दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणाली के प्रचालन की अग्रिम अवस्था में थे। मात्र 436 शहरी स्थानीय निकायों ने 01 अप्रैल 2009 तक अपने प्रचालन तुलन–पत्र एवं वित्तीय वर्ष 2011–12 में तुलन–पत्र को अन्तिम रूप दिया। शेष 194 शहरी स्थानीय निकायों ने अपने प्रचालन तुलन–पत्र को अन्तिम रूप नहीं दिया। शासन ने भी विद्यमान नियमों में संशोधन नहीं किया।

1.5 लेखापरीक्षा व्यवस्था

1.5.1 प्राथमिक लेखापरीक्षक

उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि, लेखापरीक्षा अधिनियम, 1984 के उपबन्धों के अनुसार निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा हेतु प्राथमिक लेखापरीक्षक है। ऐसे निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा निदेशक स्थानीय निधि लेखापरीक्षा, इलाहाबाद द्वारा 11 से 18 प्रतिशत के बीच नहीं की गई जो कि 2009–13 के अंत में बकाया रह गयी थी। लेखापरीक्षा की वर्षवार स्थिति **सारणी 2** में दी गई है:

सारणी 2: इकाईयों की वर्षवार लेखापरीक्षा की स्थिति

क्र. सं.	वर्ष	इकाईयों की संख्या		बकाया इकाईयों की संख्या	
		लेखापरीक्षा की जानी थी	लेखापरीक्षित	संख्या में	प्रतिशत में
1	2009–10	623	556	67	11
2	2010–11	624	542	82	13
3	2011–12	625	529	96	15
4	2012–13	624	510	114	18

(**स्रोतः** निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा)

उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखापरीक्षा अधिनियम, 1984 के उपबंध 8(3) के अधीन निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा को शहरी स्थानीय निकायों के लेखाओं पर एक समेकित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार करके विधान मण्डल के समक्ष रखने हेतु सरकार को प्रस्तुत करना था। मात्र वर्ष 2008–09 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को ही विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे।

1.5.2 भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा अधिदेश

I. शहरी स्थानीय निकायों की वार्षिक लेखाओं (प्राप्ति एवं व्यय लेखे) की लेखापरीक्षा भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियों एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अन्तर्गत भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा सम्पादित की जाती है। लेखापरीक्षा परिणाम शहरी स्थानीय निकायों, निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा तथा राज्य सरकार (सम्बन्धित शासकीय विभाग के सचिवों) को सूचित किया जाता है।

II. स्थानीय निधि लेखापरीक्षक/निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षक को शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीखा के लिए तकनीकी दिशा–निर्देश एवं सहायता भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियों एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 20(।) के अर्न्तगत की जाती है।

III. तकनीकी दिशा निर्देशन एवं सहायता व्यवस्था के अर्न्तगत शहरी स्थानीय निकायों के लेखाओं की नमूना जाँच, लेखापरीक्षा पद्धति की समीक्षा एवं स्थानीय निधि लेखापरीक्षक की आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सम्मिलित है।

IV. तकनीकी दिशा निर्देशन एवं सहायता व्यवस्था के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकायों की नमूना जाँच किये प्रतिवेदनों को महालेखाकार[4] द्वारा लेखापरीक्षा प्रस्तरों के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा को प्रेषित किये गये। उनके द्वारा सूचित है कि मानव शक्ति की कमी के कारण प्रस्तरों का निस्तारण नहीं हुआ।

V. लेखापरीक्षा परिणाम अर्थात शहरी स्थानीय निकायों के तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदनों को शहरी स्थानीय निकायों, शासकीय विभागों के सचिवों एवं निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा को अनुपालन एवं कार्यवाही करने के लिए प्रेषित की जाती है।

VI. वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (पूर्ववर्ती वर्षों में सम्पादित किये गये शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा) महालेखाकार द्वारा राज्य सरकार (सम्बन्धित सचिवों) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रत्येक वर्ष माह जून के अन्त तक उपचारी कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जाते है।

शहरी स्थानीय निकायों के लेखापरीक्षा की कार्यप्रणाली को नीचे सारणी में प्रदर्शित किया गया है:

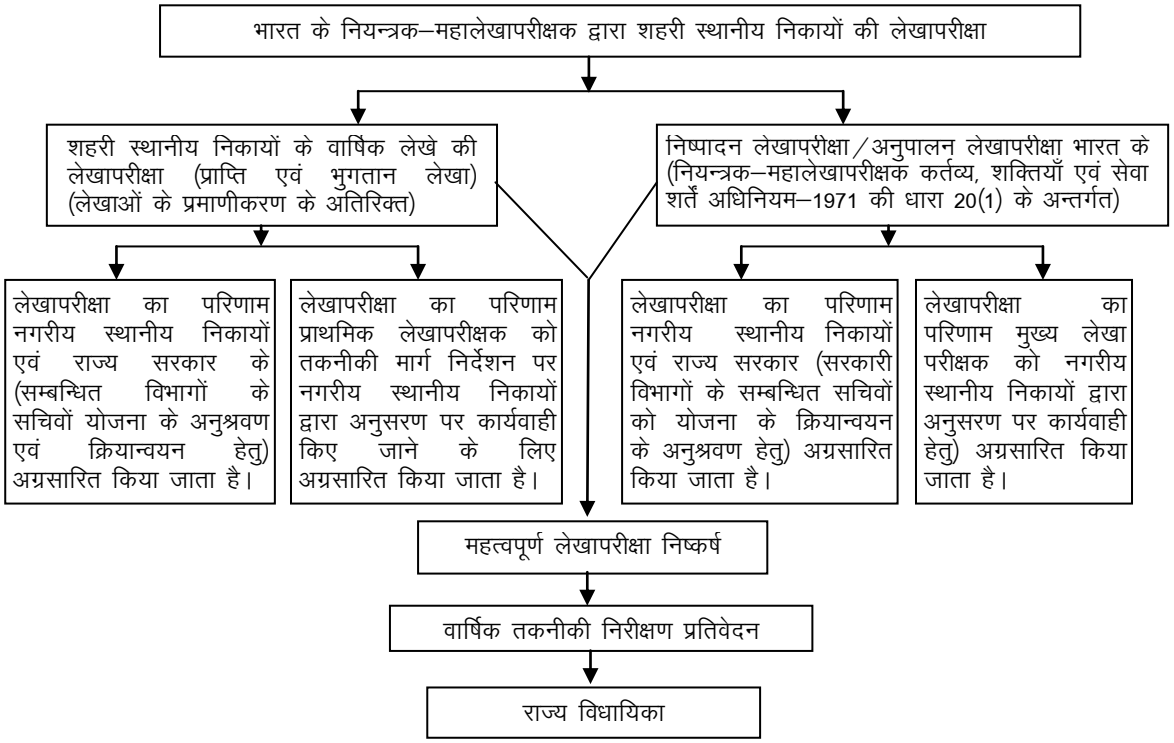

शहरी स्थानीय निकायों के लेखाओं के उचित ढंग से रख–रखाव के लिए लेखापरीक्षा हेतु तकनीकी दिशा–निर्देशन एवं सहायता की व्यवस्था एवं उनकी लेखापरीक्षा भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 20(1) के अन्तर्गत भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक को ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर सौंपा गया। तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक को सभी राज्यों की स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा तकनीकी मार्ग निर्देशन एवं सहायता के साथ सौंपा गया, जिससे राज्य के सभी स्थानीय निकायों के लिए लेखाकरण प्रारूप के मानकीकरण के आवश्यक परिणाम हो सकेंगे तथा लेखाओं की लेखापरीक्षा का विश्वसनीय आश्वासन उपलब्ध कराने के

[4]अप्रैल 2012 से पदनाम प्रधान महालेखाकार (जनरल एवं सोशल सेक्टर आडिट) हो गया है।

लिए होगा। यद्यपि सरकार द्वारा स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा, भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक को अक्टूबर 2001 एवं पुनः मार्च 2011 में सौंपा गया, किन्तु सरकार द्वारा लेखाओं की लेखापरीक्षा एवं लेखाओं के रख–रखाव के सम्बन्ध में नियमों में आवश्यक संशोधन नहीं किया गया। वर्ष 2011–13 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों की योजनाबद्ध एवं लेखापरीक्षित इकाईयों की श्रेणी **सारणी 3** में प्रदर्शित किया गया है।

सारणी 3: शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा

शहरी स्थानीय निकाय की श्रेणी	2011–12		2012–13	
	लेखापरीक्षा हेतु इकाईयों की योजना	लेखापरीक्षित इकाईयाँ	लेखापरीक्षा हेतु इकाईयों की योजना	लेखापरीक्षित इकाईयाँ
नगर निगम	4	3	8	6
नगर पालिका परिषद	16	16	29	31
नगर पंचायत	25	24	60	49

(**स्रोत**: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (जनरल एवं सोशल सेक्टर आडिट), उत्तर प्रदेश की लेखापरीक्षा आयोजना)

तीन सौ पंचानवे लेखापरीक्षा प्रस्तरों (मूल्य ₹ 447 करोड़) वर्ष 2011–12 एवं 485 लेखापरीक्षा प्रस्तरों (मूल्य ₹ 3787.45 करोड़) वर्ष 2012–13 से सम्बन्धित थे, जिसे सम्बन्धित शहरी स्थानीय निकायों के कार्यालयाध्यक्षों, निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा को सूचित किया गया था जिसमें से तीन प्रस्तरों (मूल्य ₹ 5.26 लाख) का निस्तारण विभाग का उत्तर प्राप्त करने के उपरान्त किया गया था (अगस्त 2013)।

1.6 मानव संसाधन व्यवस्था

योजना के क्रियान्वयन हेतु मानव संसाधन व्यवस्था एवं शहरी स्थानीय निकायों में जनशक्ति के साथ–साथ मानव शक्ति की स्थिति **सारणी 4** में दिया गया है।

सारणी 4: मानव संसाधन व्यवस्था

कर्मचारियों की संख्या (31.03.2012 को)						
शहरी स्थानीय निकाय की श्रेणी			नगर निगम	नगर पालिका परिषद	नगर पंचायत	योग
केन्द्रीयकृत	स्वीकृत		1,457	1,124	359	2,940
	कार्यरत		834	636	264	1,734
अकेन्द्रीयकृत	स्वीकृत		16,997	12,368	3,272	32,637
	कार्यरत	नियमित	11,184	11,122	3,073	25,379
		अनियमित	1,168	1,845	2,251	5,264
	योग		**12,352**	**12,967**	**5,324**	**30,643**
सफाई कर्मचारी	स्वीकृत		25,703	19,532	4,730	49,965
	कार्यरत	नियमित	20,039	15,989	4,216	40,244
		अनियमित	13,171	14,691	9,146	37,008
योग			**33,210**	**30,680**	**13,362**	**77,252**
कुल कर्मचारी	स्वीकृत		58,496	49,560	19,758	127,814
	कार्यरत		46,396	44,283	18,950	109,629
कमी / प्रतिशतता			12,100 (20.69)	5,277 (10.65)	808 (4.09)	18,185 (14.23)

(**स्रोत**: निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ)

केन्द्रीयकृत श्रेणी में 2,940 स्वीकृत कर्मचारियों के विरूद्ध 1,734 कर्मचारी ही कार्यरत थे जिसमें 41 प्रतिशत की कमी थी। अकेन्द्रीयकृत श्रेणी में 32,637 स्वीकृत कर्मचारियों के विरूद्ध 30,643 कर्मचारी कार्यरत थे, जिसमें 6.11 प्रतिशत की कमी थी। सफाई कर्मचारियों की श्रेणी में 49,965 स्वीकृत के सापेक्ष 77,252 कर्मचारी कार्यरत थे जोकि 54.61 प्रतिशत अधिक थे।

1.6.1. दक्षता, क्षमता के सुधार हेतु कर्मचारियों की प्रशिक्षण व्यवस्था

छः सौ तीस शहरी स्थानीय निकायों में एक लाख नौ हजार छः सौ उन्तीस अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत थे (मार्च 2013)। 630 महापौर/अध्यक्ष एवं 11,290 निर्वाचित सभासद/सदस्य जो कि शहरी स्थानीय निकायों के परिषद द्वारा गठित होते हैं। उत्तर प्रदेश में आवश्यक मानव संसाधन विकास एवं शहरी व्यवस्था के लिए बुनियादी एवं संस्थागत ढाँचा की कमी है इसलिए चौहत्तरवें संविधान संशोधन के कार्य की तीव्रता के सशक्तिकरण में शहरी विकास हेतु यह अति आवश्यक है कि डिजाइन प्रशिक्षण माड्यूल जोकि कर्तव्य एवं जिम्मेदारियों से निर्दिष्ट हो, म्यूनिसिपल कृत्यकारी हो। स्थानीय निकाय के कर्मचारियों की दक्षता सुधार हेतु निदेशक, स्थानीय निकाय ने एकेडमी स्थापित करने के लिए प्रस्तावित किया (अगस्त 2013)।

1.7 शहरी स्थानीय निकायों को कार्यों का हस्तान्तरण

संविधान का अनुच्छेद 234–डब्ल्यू शक्तियों, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्वों का उल्लेख करता है कि राज्य की विधायिका विधि के अनुसार नगर निकायों को स्वशासित संस्थाओं के रूप में कार्य करने के अधिकार को अनुमोदित कर सकती है। संविधान के चौहत्तरवें संशोधन अधिनियम, 1992 के अनुपालन हेतु राज्य की विधायिका ने 18 कार्यों[5] (संविधान की बारहवीं अनुसूची में शामिल) को शहरी स्थानीय निकायों को सौंपने के लिए कानून लागू किया (मार्च 1996)।

कार्यों की सूची पर एक दृष्टि यह स्पष्ट करती है कि शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका नागरिक सुविधाओं से सम्बन्धित पारम्परिक कार्यों तक सीमित नहीं रहेगी। संविधान में गरीबी उन्मूलन एवं शहरी क्षेत्रों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के नियोजन में इन निकायों की सक्रिय भूमिका पर विचार किया गया है। शहरी स्थानीय निकायों की विशिष्ट शक्तियों एवं दायित्वों को विकसित करने का दायित्व राज्यों का है।

चौहत्तरवें संशोधन में सूचीबद्ध शहरी स्थानीय निकायों के कुछ कार्य जो कि उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपल कार्पोरेशन एक्ट, 1959 की धारा क्रमशः 114 एवं 7 तथा उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपल एक्ट, 1916 में शामिल है, के अतिरिक्त कुछ कार्य विकास प्राधिकरणों, क्षेत्रीय जल संस्थानों, विनियमित क्षेत्र प्राधिकरणों एवं सम्बन्धित शासकीय विभागों द्वारा निष्पादित किये जा रहे थे। शहरी विकास विभाग के शासनादेश संख्या–461/IX–9–1996 दिनांक 07 मार्च 1996 के माध्यम से राज्य सरकार ने उन कार्यो को विनिर्दिष्ट किये जो विभिन्न अभिकरणों द्वारा निष्पादित किये जायेंगे।

उक्त शासनादेश के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर आठ कार्यो का पालन किया जायेगाः

1. घरेलू, औद्योगिक एवं व्यावसायिक उद्देश्यों हेतु जलापूर्ति।
2. जनस्वास्थ्य, स्वच्छता, संरक्षण तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन।

---

5 (i) शहरी नियोजन जिसमें नगरीय नियोजन सम्मिलित है, (ii) भवनों का निर्माण एवं भू–प्रयोग का विनियमन, (iii) सामाजिक एवं आर्थिक विकास का नियोजन, (iv) मार्ग एवं सेतु, (v) औद्योगिक एवं वाणिज्यिक तथा घरेलू उददेश्यों हेतु जलापूर्ति, (vi) जनस्वास्थ्य, स्वच्छता, संरक्षण तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (vii) अग्नि सेवाएँ (viii) शहरी वानिक, पर्यावरण का संरक्षण एवं परिस्थिति की पक्ष की उन्नति, (ix) समाज के कमजोर वर्ग, विकलांग तथा मानसिक रूप से अक्षम लोगों के हितों की संरक्षा, (x) मलिन बस्ती का उन्नयन एवं उच्चीकरण, (xi) शहरी गरीबी उन्मूलन, (xii) शहरी आवश्यकताओं एवं सुविधाओं का प्रावधान जैसे पार्क, बगीचा एवं खेलकूद का मैदान, (xiii) शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं सौन्दर्य सम्बन्धी पक्ष की प्रोन्नति, (xiv) कब्रिस्तान शमशान घाट एवं विद्युत शवदाह गृह, (xv) पशुशाला, पशुओं की क्रूरता की रोकथाम, (xvi) जन्म मृत्यु का पंजीकरण एवं जनानिकी, (xvii) जनसुविधाएँ स्ट्रीट लाइट, बस अड्डा, पार्किंग एवं जन यातायात, (xviii) बूचड़ खाना (वधशाला) एवं चर्म उद्योग का विनियमितीकरण

3. शहरी सुख–सुविधाओं का प्राविधान जैसे–पार्क, बगीचे और क्रीड़ा–स्थल।
4. अन्त्येष्टि एवं अन्त्येष्टि स्थल, शवदाह एवं शवदाह स्थल।
5. पशुजलाशय, पशुओं के प्रतिनिर्दयता की रोकथाम।
6. अनिवार्य आँकड़े जिसमें जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण सम्मिलित हो।
7. जन सुविधाएँ जैसे स्ट्रीट लाइट, पार्किंग स्थल, एवं बस अड्डा आदि सम्मिलित हों।
8. बूचड़ खाना (वधशाला) एवं चर्म उद्योग का विनियमितीकरण।

नीचे दिये गये निम्नलिखित कार्य सरकारी विभागों/संस्थाओं द्वारा लगातार पालन किया जायगा:

क्र0 सं0	सेवाएँ	विभाग
1	अग्नि सेवाएँ	अग्निशमन विभाग
2	शहरी वानिकी	वन विभाग
3	शहरी वानिकी पर्यावरण संरक्षण एवं परिस्थितिकी पक्ष की उन्नति	पर्यावरण विभाग
4	समाज के कमजोर वर्ग, विकलांग तथा मानसिक रूप से अक्षम लोगों के हितों की सुरक्षा	जिला शहरी विकास अभिकरण एवं राज्य शहरी विकास अभिकरण के माध्यम से शहरी गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार विभाग
5	मलिन बस्ती का उन्नयन एवं उच्चीकरण	जिला शहरी विकास अभिकरण एवं राज्य शहरी विकास अभिकरण के माध्यम से शहरी गरीबी उन्मूलन एवं सेवा योजन विभाग

निम्नलिखित कार्यों की जिम्मेदारियों का पालन करने हेतु राज्य सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों एवं अन्य सरकारी संस्थाओं के बीच में बाँटा गया है:

क्र0 सं0	सेवाएँ	विभाग/सरकारी संस्थाएं		
1	शहरी नियोजन के साथ नगर नियोजन	27 शहरों में शहरी विकास प्राधिकारियों एवं शेष नगरों में शहरी स्थानीय निकायों		
2	भवनों का निर्माण एवं भू प्रयोग का विनियमन	27 शहरों में विकास प्राधिकारियों, 74 नगरों में विनियमित क्षेत्र प्राधिकारियों एवं शेष नगरों में शहरी स्थानीय निकाय		
3	सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं सौन्दर्य सम्बन्धी पक्ष की प्रोन्नति	1	सांस्कृतिक गतिविधियों	सांस्कृति विभाग एवं शहरी स्थानीय निकाय
		2	शिक्षा	निगम के मिडिल स्तर स्कूल के अतिरिक्त शिक्षा विभाग
		3	सौन्दर्य सम्बन्धी पक्ष	सरकारी विभागों एवं शहरी स्थानीय निकाय
4	आर्थिक एवं सामाजिक विकास का नियोजन	विकास प्राधिकारियों, विकास परिषद, शहरी स्थानीय निकाय राज्य नगर विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश जल निगम, जल संस्थान एवं अन्य विभाग		
5	सड़क एवं सेतु	विकास प्राधिकरणों एवं शहरी स्थानीय निकाय		

(**स्रोतः** निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ)

तेरहवें केन्द्रीय वित्त आयोग के (प्रस्तर 10.168) के अनुशंसा के अनुसार विकास प्राधिकरणों और उनके कार्यों जो कि स्थानीय निकायों से लिये गये हैं, जिनके अधिकार क्षेत्र में संचालित होते हैं, लुप्त होना चाहिए। जैसे कि प्रस्तर 10.132 में उल्लिखित है कि जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्युअल मिशन के अन्तर्गत उनके अनिवार्य सुधार उपाय निर्वाचित शहरी स्थानीय निकाय को सुपुर्द एवं सहयुक्त कार्य के साथ शहरी नियोजित कार्य और हस्तान्तरित किये गये विशेषजन सेवाएँ शहरी क्षेत्रों के सात वर्ष से अधिक समय/अन्तरिम में यह अनुशंसा की थी कि इन निकायों की आय की

प्रतिशतता की हिस्सेदारी (भूमि विक्रय से आय सम्मिलित) स्थानीय निकायों के साथ होनी चाहिए।

संविधान में निहित है कि गरीबी उन्मूलन शहरी क्षेत्रों के आर्थिक एवं सामाजिक कार्यों में स्थानीय निकायों की सक्रिय भूमिका होगी। निधियों, कृत्यों एवं कार्मिकों का आंशिक हस्तान्तरण शहरी स्थानीय निकायों के क्रियाकलापों में सीमित होगा।

1.8 जिला योजना समिति के कार्य

भारतीय संविधान के चौहत्तरवें संविधान संशोधन 1993 में अनुछेद 243 जेड डी को संविधान में जोड़ा गया, जो प्राधिकृत करता है कि ''प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर, जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गयीं योजनाओं का समेकन करने और सम्पूर्ण जिले के लिए एक विकास योजना प्रारूप तैयार करने हेतु एक जिला योजना समिति का गठन किया जायेगा''। जुलाई 1999 में अधिनियम संख्या 32 के माध्यम से उत्तर प्रदेश शासन ने उक्त संशोधन के अनुश्रवण हेतु उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1999 (अधिनियम) पारित किया।

1.8.1 जिला योजना कमेटी की भूमिका

अधिनियम के अनुसार प्रत्येक जिले में एक जिला विकास योजना तैयार करने हेतु जिला योजना समिति का गठन किया जायेगा। समिति के सुझाव के अनुसार खण्ड एवं उपखण्ड हेतु निधियों का निर्धारण शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जिला विकास योजना की रूपरेखा के अनुसार किया जाएगा।

1.9 सतर्कता तन्त्र

भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956, लोकायुक्त अधिनियम, भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सामरिक ढांचा (2001) तथा उत्तर प्रदेश ग्यारहवीं योजना दस्तावेज के प्रस्तर 206 में सतर्कता निवारण एवं भ्रष्टाचार विरोधी रणनीति के लिए व्यवस्था निश्चित की गई है। अधिदेश के अनुपालन के लिए संस्थागत प्रक्रिया में लोक आयुक्त सचिव सतर्कता विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में महानिदेशक स्तर के पुलिस अधिकारी के अधीन सतर्कता तन्त्र, आर्थिक अपराध शाखा तथा पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार विरोधी शाखा गृह सचिव के अधीन गम्भीर, आर्थिक अपराध के लिए गठित विशेष टास्क फोर्स सम्मिलित है। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 के आलोक में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपनाया गया सतर्कता तंत्र अपर्याप्त था, जैसा कि लोकायुक्त की संस्तुतियाँ उत्तर प्रदेश शासन पर बाध्यकारी नहीं हैं।

1.10 वित्तीय विवरणिका

1.10.1 शहरी स्थानीय निकाय को निधि प्रवाह

संसाधन आधारित शहरी स्थानीय निकाय की निजी प्राप्तियाँ, राज्य वित्त आयोग अनुदान, केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान राज्य सरकार अनुदान एवं केन्द्र सरकार अनुदान विकास एवं रख रखाव के उददेश्य से प्राप्त होता है। निधिवार स्रोत तथा इसकी अभिरक्षा प्रत्येक स्तर पर नीचे **सारणी में 5(अ) एवं 5(ब)** दिया गया है:

सारणी 5(अ): शहरी स्थानीय निकाय को निधि प्रवाह

निधि का	नगर निगम	नगर पालिका परिषद	नगर पंचायत

स्वरूप	निधि का स्रोत	निधि की अभिरक्षा	निधि का स्रोत	निधि की अभिरक्षा	निधि का स्रोत	निधि की अभिरक्षा
निजी प्राप्तियाँ	शहरी स्थानीय निकाय	शहरी स्थानीय निकाय द्वारा स्वयं एकत्रित निधि एवं शहरी स्थानीय निकाय लेखा विभाग के द्वारा बैंक खाते में जमा करना	शहरी स्थानीय निकाय	शहरी स्थानीय निकाय द्वारा एकत्रित निधि तथा शहरी स्थानीय निकाय के लेखाविभाग द्वारा बैंक खाते में जमा	शहरी स्थानीय निकाय	शहरी स्थानीय निकाय द्वारा एकत्रित निधि तथा शहरी स्थानीय निकाय के लेखा विभाग के द्वारा बैंक खाते में जमा
राज्य नियोजन	राज्य सरकार	कोषागार के माध्यम से शहरी स्थानीय निकाय के लेखा विभाग	राज्य सरकार	कोषागार के माध्यम से शहरी स्थानीय निकाय के लेखा विभाग	राज्य सरकार	कोषागार के माध्यम से शहरी स्थानीय निकाय के लेखा विभाग
राज्य वित्त आयोग	राज्य सरकार	कोषागार के माध्यम से शहरी स्थानीय निकाय के लेखा विभाग	राज्य सरकार	कोषागार के माध्यम से शहरी स्थानीय निकाय के लेखा विभाग	राज्य सरकार	कोषागार के माध्यम से शहरी स्थानीय निकाय के लेखा विभाग
केन्द्रीय वित्त आयोग	केन्द्र सरकार	बैंक के माध्यम से जो राज्य सरकार द्वारा इलेक्ट्रानिक विधि से शहरी स्थानीय निकाय के लेखा विभाग को हस्तान्तरित हुई	केन्द्र सरकार	बैंक के माध्यम से जो राज्य सरकार द्वारा इलेक्ट्रानिक विधि से शहरी स्थानीय निकाय के लेखा विभाग को हस्तान्तरित हुई	केन्द्र सरकार	बैंक के माध्यम से जो राज्य सरकार द्वारा इलेक्ट्रानिक विधि से शहरी स्थानीय निकाय के लेखा विभाग को हस्तान्तरित हुई
केन्द्र द्वारा पोषित योजना	केन्द्र सरकार + राज्य सरकार + शहरी स्थानीय निकाय	बैंक के माध्यम से जो राज्य सरकार द्वारा इलेक्ट्रानिक विधि से शहरी स्थानीय निकाय के लेखा विभाग को हस्तान्तरित हुई	केन्द्र सरकार+ राज्य सरकार+ शहरी स्थानीय निकाय	बैंक के माध्यम से जो राज्य सरकार द्वारा इलेक्ट्रानिक विधि से शहरी स्थानीय निकाय के लेखा विभाग को हस्तान्तरित हुई	केन्द्र सरकार + राज्य सरकार + शहरी स्थानीय निकाय	बैंक के माध्यम से जो राज्य सरकार द्वारा इलेक्ट्रानिक विधि से शहरी स्थानीय निकाय के लेखा विभाग को हस्तान्तरित हुई

(**स्रोतः** निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ

सारणी 5(ब): मुख्य केन्द्र द्वारा पोषित फ्लैगशिप योजना में निधि प्रवाह व्यवस्था

योजना का नाम	निधि प्रवाह व्यवस्था
जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन	भारत सरकार के शहरी विकास मन्त्रालय द्वारा जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के अन्तर्गत जारी किये गये मार्ग निर्देशानुसार सभी स्रोतों (केन्द्र+राज्य+शहरी स्थानीय निकाय) उनसे सम्बन्धित प्रतिशत की हिस्से के अनुसार राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी के खाते तथा सम्बन्धित शहरी स्थानीय निकाय द्वारा रख रखाव किये गये प्रोजेक्ट खाते जिसके लिए प्रोजेक्ट स्वीकृत हुए है

(**स्रोतः** निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ)

1.10.2 राजस्व प्रवाह

ग्यारहवें वित्त आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों को पहली बार वित्त आयोग के क्षेत्राधिकार में लाया गया। इसका उद्देश्य राज्य सरकार की संचित निधि में वृद्धि द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के संसाधनों की पूर्ति करना था। तद्नुसार, बारहवें वित्त आयोग ने राज्य सरकारों के लिए अनुदानों को अवमुक्त किये जाने की सिफारिश की। राज्य सरकार ने भी अपने राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदानों को अवमुक्त किया। कुल मिलाकर शहरी स्थानीय निकायों के लिए राजस्व के स्रोत निम्नलिखित हैः

- बारहवें एवं तेरहवें केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा सौपे गये अनुदान।
- तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्य सरकार के कुल कर राजस्व प्राप्तियों के शुद्ध आगम का 7 प्रतिशत अंश दिया जाना।

- शहरी स्थानीय निकायों को स्थानान्तरित कार्यों हेतु सम्बन्धित विभागों द्वारा निधियों का हस्तान्तरण।
- शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अपने निजी स्रोतों से प्राप्त राजस्व जैसे–कर, किराया, शुल्क, टैक्सी अड्डा आदि।

शहरी स्थानीय निकायों के 2008–13 के दौरान प्राप्ति एवं व्यय की स्थिति नीचे **सारणी 6, 7 एवं 8** में दिया गया है:

सारणी 6: शहरी स्थानीय निकायों की समय श्रेणी डाटा

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	शीर्ष	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13
1	निजी राजस्व	804.12	783.79	936.40	1,089.19	1,307.02*
2	केन्द्रीय वित्त आयोग स्थानान्तरण (वित्त आयोग अन्तरण)	103.40	103.40	274.92	517.51	756.49
3	राज्य वित्त आयोग स्थानान्तरण (राज्य वित्त आयोग अन्तरण)	2,149.47	2,090.28	2,559.52	3,084.89	3,697.56
4	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं के लिए भारत सरकार का अनुदान	1,106.66	770.52	866.50	1,512.43	1,279.38
5	राज्य योजना के लिए राज्य सरकार का अनुदान	65.24	100.04	96.49	26.85	75.97
6	अन्य प्राप्तियाँ	202.92	200.17	171.22	269.48	296.41
	योग	**4,431.81**	**4,048.20**	**4,905.05**	**6,500.35**	**7,412.83**

(**स्रोतः** निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ)
(*प्रोविजनल)

सारणी 7: सेक्टरवार संसाधन के अनुप्रयोग

(₹ करोड़ मे)

क्र0 सं0	शीर्ष	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13
1	निजी राजस्व से व्यय	804.12	783.79	936.40	1,089.19	1,307.02*
2	केन्द्रीय वित्त आयोग स्थानान्तरण (वित्त आयोग अन्तरण) से व्यय	103.40	103.40	274.92	517.51	756.49
3	राज्य वित्त आयोग स्थानान्तरण (राज्य वित्त आयोग अन्तरण) तथा अन्य प्राप्ति–दो प्रतिशत अतिरिक्त स्टैम्प डयूटी से व्यय	2,352.39	2,290.45	2,730.74	3,354.37	3,993.97
4	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं के लिए भारत सरकार का अनुदान	1,106.66	770.52	866.50	1,512.43	1,279.38
5	आदर्श नगर योजना के लिए राज्य सरकार का अनुदान	65.24	100.04	96.49	26.85	75.97
	योग	**4,431.81**	**4,048.20**	**4,905.05**	**6,500.35**	**7,412.83**

(**स्रोतः** निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ)
*(प्रोविजनल)

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सभी प्राप्तियाँ संसाधन के अनुप्रयोग में प्रदर्शित थीं।

सारणी 8: शहरी स्थानीय निकायों का प्राप्ति एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	वर्ष	व्यय		राजस्व के स्रोत							प्राप्ति	व्यय
				निजी राजस्व				12वें सी.एफ.सी./ 13वें सी.एफ.सी. से स्थानान्तरण	सुपुर्द + अन्तरण (सी.एफ.सी.)	जे.एन.एन. यू.आर.एम. +आदर्श नगर योजना		
		राजस्व	पूँजी	कर राजस्व		नान टैक्स (यूजर चार्जेस सम्मिलित)	कुल निजी प्राप्तियाँ					
				अचल सम्पत्ति कर	अन्य कर							
1	2008–09	2,237.50	1,956.68	394.47	29.01	380.64	804.12	103.40	2,352.39	1,171.90	4,431.81	4,194.18
2	2009–10	3,162.04	1,732.23	455.04	57.68	271.07	783.79	103.40	2,290.45	870.56	4,048.20	4,894.27
3	2010–11	3,359.90	1,893.87	507.39	78.67	350.34	936.40	274.92	2,730.74	962.98	4,905.04	5,253.77
4	2011–12	4,207.63	2,457.61	647.16	68.88	373.15	1,089.19	517.51	3,354.37	1,539.28	6,500.35	6,665.24
5	2012–13*	5,049.15	2,959.13	776.60	82.66	447.78	1,307.02	756.49	3,993.98	1,355.34	7,412.83	7,998.28

(**स्रोतः** निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ)
*(अनुमानित + वास्तविक)

1.10.3 शहरी स्थानीय निकायों को बजट का आवंटन एवं अवमुक्त किया जाना

शहरी स्थानीय निकायों को बजट आवंटन एवं अवमुक्त किए जाने की स्थिति नीचे **सारणी 9** में दिया गया है।

सारणी 9: राज्य बजट से राज्य वित्त आयोग का निधि आवंटन

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष	सामान्य		संशोधित		योग		कम (–)/ अधिक (+)
		बजट प्रावधान	शहरी स्थानीय निकाय को अवमुक्त	बजट प्रावधान	शहरी स्थानीय निकाय को अवमुक्त	बजट प्रावधान	शहरी स्थानीय निकाय को अवमुक्त	
1	2008–09	2,035.50	1,995.77	153.69	153.69	2,189.19	2,149.46	(–) 39.73
2	2009–10	2,120.59	2,065.13	25.15	25.15	2,145.74	2,090.28	(–) 55.46
3	2010–11	2,565.68	2,514.37	45.15	45.15	2,610.83	2,559.52	(–) 51.31
4	2011–12	2,790.00	2,758.76	326.13	326.13	3,116.13	3,084.89	(–) 31.24
5	2012–13	3,373.65	3,303.91	393.66	393.66	3,767.31	3,697.57	(–) 69.74

(**स्रोतः** निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ)

शहरी स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित राज्य वित्त आयोग निधि में सामान्य बजट प्रावधान के सन्दर्भ में भिन्नता, प्रोत्साहन निधि में दो प्रतिशत एवं मलिन बस्ती निधि में एक प्रतिशत स्वयं के संसाधनों के संवर्धन के योग्य एवं 15 प्रतिशत जनसंख्या से अधिक वाली मलिन बस्ती, को अवमुक्त के कारण थी।

सारणी 10: केन्द्रीय वित्त आयोग निधि का आवंटन

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष	सामान्य प्राथमिक अनुदान		सामान्य निष्पादन अनुदान		योग		कम/ अधिक
		स्वीकृत	प्राप्त	स्वीकृत	प्राप्त	स्वीकृत	प्राप्त	
1	2008–09	103.40	103.40	–	–	103.40	103.40	–
2	2009–10	103.40	103.40	–	–	103.40	103.40	–
3	2010–11	274.92	274.92	–	–	274.92	274.92	–
4	2011–12	318.83	344.60	109.02	172.91	427.85	517.51	(+) 89.66
5	2012–13	372.61	391.47	255.72	365.01	628.33	756.48	(+) 128.15

(**स्रोतः** निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ)

शहरी स्थानीय निकायों को अधिक निधि अवमुक्त करने का कारण था कि राज्य ने अतिरिक्त अनुदानों के लिए तेरहवें केन्द्रीय वित्त आयोग की नौ शर्तों को पूरा किया था। इसके अतिरिक्त गैर क्रियाशील राज्य के बजट को क्रियाशील राज्यों के बीच में वितरित कर दिया गया।

1.10.4 प्रमुख केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत किये गये व्यय

प्रमुख केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाएँ जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन शहरी स्थानीय निकायों में क्रियान्वित की जा रही है। भारत सरकार ने दिसम्बर 2005 में जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन को प्रमुख शहरों में सुधार एवं तीव्रगामी प्रोत्साहन के उद्देश्य से दिसम्बर 2005 में जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन की शुरूआत की। इस योजना में शहरी स्थानीय निकाय के माध्यम से किये गये व्यय को **सारणी 11** में दिया गया है।

सारणी 11: प्रमुख केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत व्यय जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	वर्ष	व्यय	धनराशि	योग
1	2008–09	कुल व्यय	1,106.66	1,106.66
		शहरी स्थानीय निकाय के माध्यम से व्यय	1,106.66	1,106.66
2	2009–10	कुल व्यय	770.52	770.52
		शहरी स्थानीय निकाय के माध्यम से व्यय	770.52	770.52
3	2010–11	कुल व्यय	866.50	866.50
		शहरी स्थानीय निकाय के माध्यम से व्यय	866.50	866.50
4	2011–12	कुल व्यय	1,512.43	1,512.43
		शहरी स्थानीय निकाय के माध्यम से व्यय	1,512.43	1,512.43
5	2012–13	कुल व्यय	1,279.38	1,279.38
		शहरी स्थानीय निकाय के माध्यम से व्यय	1,279.38	1,279.38

(**स्रोतः** निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ)

अनुदान से सम्बन्धित व्यय आँकड़े विश्वसनीय नहीं थे क्योंकि शहरी स्थानीय निकायों को उपलब्ध करायी गयी निधियों को निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ के अभिलेखों में अन्तिम व्यय के रूप में मानी गयी थी एवं वास्तविक व्यय को सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं थी।

1.10.5 निजी स्रोतों से वसूल किया गया राजस्व

शहरी स्थानीय निकायों को अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत क्षेत्रीय निवासियों से कर किराया व शुल्क आदि संग्रहण के द्वारा राजस्व का सृजन करना था। शहरी स्थानीय निकायों के लिए वर्ष 2011–13 के दौरान शासन द्वारा निर्धारित राजस्व वसूली लक्ष्य तथा उसके सापेक्ष उपलब्धि की स्थिति **सारणी 12** में दिया गया है।

सारणी 12: निजी स्रोतों से वसूल किया गया राजस्व

(₹ करोड़ में)

शहरी स्थानीय निकाय का नाम	संख्या	2011–12			2012–13		
		लक्ष्य	प्राप्ति	कमी प्रतिशत	लक्ष्य	प्राप्ति	कमी प्रतिशत
नगर निगम	13	972.00	833.20	14	1,117.80	999.84	11
नगर पालिका परिषद	194	311.87	198.87	36	358.65	238.64	33
नगर पंचायत	423	79.87	57.12	28	91.85	68.54	25
योग	**630**	**1,363.74**	**1,089.19**		**1,568.30**	**1,307.02**	

(**स्रोतः** निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ)

1.10.6 राज्य वित्त आयोग अनुदान का सौंपा जाना

द्वितीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसानुसार कर राजस्व के निवल उत्पाद का 7.5 प्रतिशत शहरी स्थानीय निकायों को अन्तरित किया जाना चाहिए था तथा तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसानुसार निधि के अंश का सात प्रतिशत कर दिया गया। वर्ष 2008–13 के दौरान राज्य सरकार द्वारा हस्तान्तरित निधि **सारणी 13** में दिया गया है:

सारणी 13: राजस्व वित्त आयोग अनुदान का सौंपा जाना

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष	राज्य सरकार के कर राजस्व का निवल उत्पाद	आन्तरिक की जाने वाली निधि	अन्तरिक निधियाँ	कम/अधिक अन्तरण (प्रतिशत कोष्ठक में)
1	2008–09	28,659	2,149	2,149	–
2	2009–10	33,877	2,541	2,090	– 451 (18)
3	2010–11	43,464	3,042	2,560	– 482 (16)
4	2011–12	50,351	3,525	3,085	– 440 (12)
5	2012–13	57,498	4,025	3,698	– 327 (8)
योग		2,13,849	15,282	13,582	1,704(11)

(**स्रोतः** निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ)

सरकार ने वर्ष 2009–13 की अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में द्वितीय राज्य वित्त आयोग एवं तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार कर राजस्व के निवल उत्पाद का निर्धारित प्रतिशत अन्तरित नही किया। निधियों के अन्तरण में 8 से 18 प्रतिशत के बीच कमी रही।

1.11 आन्तरिक नियन्त्रण

- नगर पालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों के बिलों की पूर्व जाँच की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस प्रकार बिना पूर्व जाँच के ही बिलों का भुगतान किया जा रहा था।

1.12 निष्कर्ष

- लेखाओं का रख–रखाव अर्पयाप्त था एवं लेखाओं के अनुमोदित प्रारूप को नहीं अपनाया गया था। शहरी स्थानीय निकायों की परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का विश्लेषण नहीं किया गया था।

- अधिक संख्या में लेखापरीक्षा प्रस्तरों का अनुपालन लम्बित है।

- निधियों का पूर्ण अन्तरण, प्रकार्य तथा पदधारियों को शहरी स्थानीय निकायों को नही किया गया जैसा कि संविधान में उपबन्धित है।

- वर्ष 2008–13 की अवधि में सरकार ने द्वितीय एवं तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुसंशा के अनुसार राजस्व के निवल उत्पाद का निर्धारित प्रतिशत अन्तरित नहीं किया। शहरी स्थानीय निकायों को उपलब्ध कराये गये अनुदान को निदेशक, स्थानीय निकाय लखनऊ ने अपने अभिलेखों में अन्तिम व्यय मान लिया। इस प्रकार शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति का सत्य एवं उचित चित्रण लेखा बहियों में नहीं प्रदर्शित था।